

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक - 6/रा0ग्रा0पे0यो0-117/12-57(मा0) पटना, दिनांक-10/7/2018
सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासन एवं एकाउंट विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय :- वर्ष 2018-19 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 73 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत पटना जिला के ग्वासा शेखपुरा पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा परिचालन एवं रख-रखाव हेतु केन्द्रांश मद से रु0 4.24073 लाख (चार लाख चोबीस हजार तेहत्तर रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 73 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक- 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0- 117/12- 819, दिनांक- 09.05.2013 के द्वारा कुल रु0 13256.052 लाख की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व को ग्वासा शेखपुरा पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन तथा परिचालन एवं रख-रखाव हेतु रु0 4.24073 लाख (चार लाख चोबीस हजार तेहत्तर रुपये मात्र) की राशि निम्न तालिका के अनुसार बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फण्ड के अंतर्गत संधारित बैंक खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश के अनुसार केन्द्रांश मद में स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)	स्वीकृत्यादेश के अनुसार केन्द्रांश मद में अबतक विमुक्त राशि (लाख रु0 में)	विमुक्त राशि				
					सामान्य (लाख रु0 में)	अनुसूचित जाति (लाख रु0 में)	अनुसूचित जनजाति (लाख रु0 में)	कुल अंकों में (लाख रु0 में)	कुल शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना पूर्व	ग्वासा शेखपुरा	102.530	91.000	3.05331	1.1026	0.08482	4.24073	चार लाख चोबीस हजार तिहत्तर रुपये मात्र

अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन


(सतीश चंद्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

Emmal

ज्ञापांक- 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0-117/12- 57 (मा0) पटना, दिनांक- 10/7/2018

1. प्रतिलिपि -कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रोग्राम फण्ड के बैंक खाते के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


2. प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि- माननीय मंत्री,के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/सहायक अभियंता (मो0)/आई0 टी0 मैनेजर/ प्रशाखा पदाधिकारी- 6ए/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाह सहायक प्रशाखा - 6ए को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.7.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

